BULANDSHAHR POLICE

दिनाँक 13 जून 2022

बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अपहरण के आरोपियों को 07-07 वर्ष का कारावास व 20-20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त सचिन पुत्र शान्तिस्वरूप निवासी ग्राम नंगला शेखू थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर व मनोज पुत्र चन्द्रपाल उर्फ बन्सी निवासी ग्राम पुवइया जहांगीरपुर थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर द्वारा वर्ष-2015 में थाना खुर्जानगर क्षेत्र निवासी एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना खुर्जानगर पर मुअसं-546/2015 धारा-365/328 भादवि पंजीकृत है। इस अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित करते हुए अभियोग में मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 13.06.22 को मा0 न्यायालय, पोक्सो-प्रथम बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर **अभियुक्त सचिन व मनोज को 07-07 वर्ष कठोर कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलायी गयी है।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक श्री वरूण कौशिक का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर